क्रम-संख्या—81

रजि० नं० एल. डब्लू. /एन. पी. 890

लाइसेन्स नं० डब्लूं० पी०–41

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, मंगलवार, 29 मार्च, 2005

चैत्र 8, 1927 शक सम्वत

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 483/सात–वि–1—1(क)-16-2005

लखनऊ, 29 मार्च, 2005

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और (भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2005 पर दिनांक 24 मार्च, 2005 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 2005 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) आधानियम, 2005

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 2005)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, 2005 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1951 की धारा 154 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 154 में उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :—

"(3) उपधारा (1) के अधीन विहित सीमा से अधिक भूमि के प्रत्येक संक्रमण के लिए राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन आवश्यक होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि जहां इस उपधारा के अधीन राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त न किया गया हो वहां आवेदन पर, जुर्माने के रुप में भूमि के लागत के 25 प्रतिशत के बराबर की धनराशि का यथा विहित रीति से भुगतान करने पर बाद में राज्य सरकार यथा विहित रीति से अपना अनुमोदन दे सकती है। भूमि की लागत वही होगी जैसा कि कलेक्टर द्वारा स्टाम्प शुल्क के लिए अवधारित की जाय।"

धारा 171 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 171 में, हिन्दी पाठ में उपधारा (2) में खण्ड (ङ) में शब्द "अविवाहिता पुत्री" के स्थान पर शब्द "अविवाहिता बहन" रख दिये जायेंगे और 23 अगस्त, 2004 को प्रतिस्थापित किए गए समझे जायेंगे।

विशेष उपबन्ध

4—(1)—एतद्द्वारा यह घोषणा की जाती है कि ऐसे टुकड़े का कोई संक्रमण, जो धारा 168-क, जैसी कि वह उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, 2004 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27 सन् 2004) के प्रारम्भ के पूर्व विद्यमान थी, के अधीन शून्य हो गया था और जिसकी राज्य सरकार के पक्ष में राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टि नही की गयी थी शून्य होने योग्य समझा जायेगा और कोई भी व्यक्ति ऐसे संक्रमण को ऐसी फीस, ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से जैसा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय, जमा करके विधिमान्य करा सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के उपबन्ध इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् प्रभावी नहीं रह जायेंगे।

(2) उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, 2004 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27 सन् 2004) की धारा 11 निकाल दी जायेगी।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 के कतिपय उपबन्धों के प्रवर्तन में कठिनाई को दूर करने के लिए यह विनिश्चय किया गया है कि, किसी रजिस्ट्रीकृत सहकारी समिति या दानोत्तर प्रयोजन के लिए स्थापित किसी संस्था के पक्ष में या जन साधारण के हित में भूमि की लागत के पच्चीस प्रतिशत के बराबर धनराशि के जुर्माने के रूप में भुगतान पर 5.0586 हेक्टेयर (12.5 एकड़) से अधिक भूमि के संक्रमण के लिए और ऐसे टुकड़ों के संक्रमण, जिनका राजस्व अभिलेखों में राज्य सरकार के पक्ष में इन्द्राज नहीं हुआ है, का आवेदन करने पर विधिमान्यीकरण करने के लिए कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने के लिए उक्त अधिनियम में राज्य सरकार को प्राधिकृत करने की व्यवस्था की जाय। उक्त अधिनियम के हिन्दी पाठ में एक लिपिकीय त्रुटि को सुधारने के लिए भी इस अवसर का उपयोग किया जा रहा है।

तद्नुसार उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2005 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
धर्म वीर शर्मा,
प्रमुख सचिव।

No. 483/VII-V-1-1(Ka)-16-2005
Dated Lucknow, March 29, 2005

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Zamindari Vinash Aur Bhumi Vyavastha (Sanshodhan) Adhiniyam, 2005 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 13 of 2005) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 24, 2005.

THE UTTAR PRADESH ZAMINDARI ABOLITION AND LAND REFORMS (AMENDMENT) ACT, 2005

(U.P. ACT NO. 13 OF 2005)
[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-sixth Year of the Republic of India as follows :—

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms (Amendment) Act, 2005.

Amendment of section 154 of U.P. Act no. 1 of 1951

2. In section 154 of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, hereinafter referred to as principal Act, *after* sub-section (2) the following sub-section shall be *inserted*, namely :—

"(3) For every transfer of land in excess of the limit prescribed under sub-section (1) prior approval of the State Government shall be necessary :

Provided that where the prior approval of the State Government is not obtained under this sub-section, the State Government may on an application give its approval afterward in such manner and on payment in such manner of an amount, as fine, equal to twenty-five per cent of the cost of the land as may be prescribed. The cost of the land shall be such as determined by the Collector for stamp duty."

Amendment of section 171

3. In section 171 of the principal Act, in the Hindi version, in sub-section (2), in clause (ङ) *for* the words "अविवाहिता पुत्री" the words "अविवाहिता बहन" shall be *substituted* and be deemed to have been *substituted* on August 23, 2004.

Special provision

4. (1) It is hereby declared that any transfer of such fragment as had become void under section 168-A as it stood before the commencement of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms (Amendment) Act, 2004 (U.P. Act no. 27 of 2004) and had not been entered in revenue records in favour of State Government shall be deemed to have been voidable and any person may get such transfer validated by depositing such fee and within such time and in such manner as may be notified by the State Government :

Provided that the provision sof this sub-section shall cease to be in force after expiry of one year from the date of commencement of this Act.

(2) Section 11 of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms (Amendment) Act, 2004 (U.P. Act no. 27 of 2004) shall be *omitted*.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In order to remove difficulty in the enforcement of certain provisions of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 it has been decided to amend the said Act to provide for authorising the State Government to accord post facto approval for the transfer of land in excess of 5.0586 Hectares (12.5 Acres) in favour of a Registered Co-operative Society or an institution established for a charitable purpose or in the interest of general public on payment of an amount as fine, equal to twenty-five per cent of the cost of the land and for validating, on application, transfer of the fragments not entered in revenue records in favour of State Government, Opportunity is being availed of correcting a clerical mistake in Hindi version of the said Act.

The Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms (Amendment) Bill, 2005 is introduced accordingly.

By order,

D.V. SHARMA,

Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी० ए०पी० 980 राजपत्र (हि०)–2005–(2445)–597–(का०/आ०) ।

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 306 सा० विधा०—2005–(2446)–850 प्रतियां (का०/आ०) ।